... cjgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 713 /12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 14 ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/146204/2021

सन्दर्भ– **एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 29.05.2023 का कार्यवृत्त।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1133/12–1 दिनॉक 28.08.2023(संलग्न) से अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.05.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 बैठक में चाही गयी आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली ने अपने पत्रांक1248/01सी0 वन दिनांक 03.08.2023 से इस प्रभागीय कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया हैः–

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1	The Proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, It was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 Although a reply was submitted in this response, It appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road. If further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the User Agency has provided a Justification that the farmers are unwilling to give their land in the stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government, if required, may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1133/12–1 दिनॉक 28.08.2023 से एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लाभांवित होने वाले गांव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते है के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैः– **विकल्प 1**– ग्राम विड़ोली से– पूर्व में इस गांव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर विरोध करने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नही हो पायी। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गावं कोलाडुंग्री को डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से जोड़ने हेतु फरवरी 2016 में स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुग्री को मार्ग निर्माण करना संभव नही है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

Scanned with CamScanner

			विकल्प–2 ग्राम फलोटा से– जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है, कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू–भाग का ढ़ाल लगभग 450 है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है जो गांव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है उक्त भू–भाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू–भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिक दृष्टि से ना ही पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, उक्त मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु में ग्राम फलोटा ग्राम की सिंचित भूमि आ रही है उक्त गांव पूर्व में ही कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से जुड़ा होने के कारण ग्रामवासी अपनी भूमि देने को तैयार नही है, (विरोध पत्र संलग्न) आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड़ की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गांवो को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैण्ड़ की त्रिज्या मानकानुसार न्यूनतम 12मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैण्ड़ पर कम से कम 31.5मी0 भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाग पर्यावरण पर पड़ेगा। अतः महोदय ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण किया जाना संभव नही है। उपरोक्त कारणो से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे है, उक्त मोटर मार्ग के संरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण द्वारा भी अपनी संस्तुति दी गयी है। 1– लाभान्वित होने वाला गांव एक राजस्व ग्राम है जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पंहुच से वंचित है। 2– ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम समुल्टा में स्थित है उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चो को उक्त स्कूल पंहुचन में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोडा जाना Obelignatory point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। 3– लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8 किमी0 में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयाजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग –नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 किमी0 एवं सिमली की दूरी 24 किमी0 आयेगी।

क्रमशः पेज 03 पर

JAIDEEP

		4– लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगड़ी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम समुल्टा एवं ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर वृद्व एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुंचने में सुविधा होगी। 5– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता विशेष कर वृद्व व्याक्तियो एवं द्विव्यागो को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पंहुचने में सुविधा प्राप्त होगी। 6– प्रस्तावित सरेखण में कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिनमें से 118 वृक्ष चीड़ प्रजाति के है। तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग एक विरल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गांव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है वह अभी भी गांव को नही जोड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणो के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है, (ग्रामीणो एवं सम्बन्धित कास्तकारो का आपत्ति पत्र संलग्न है) इस बिन्दु से गांव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250मी0 है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहां से लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री को पंहुच सुलभ है एवं ग्रामीणो को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नही है। अवगत कराया गया है कि उक्त गांव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणो द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नही है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 19/9/23

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 1133 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 28 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021).

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से प्राप्त ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 02.08.2023 .

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 बैठक में चाही गयी आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली की पत्र सं0 1248/01सी0वन दिनांक 03.08.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है:–

क0सं0	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	चाही गई आख्या
	The Proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, It was noted that the case was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 Although a reply was submitted in this response, It appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road if, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the User Agency has provided a Justification that the farmers are unwilling to give their land in the stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest, After the discussion, it was decided that the State Government, if required may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लाभांवित होने वाले गांव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते है के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:– **विकल्प 1–** ग्राम विडोली से– पूर्व में इस गांव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर विरोध करने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नही हो पायी। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गावं कोलाडुंग्री को डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से जोड़ने हेतु फरवरी 2016 में स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुग्री को मार्ग निर्माण करना संभव नही है। **विकल्प–2** ग्राम फलोटा से– जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है, कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू–भाग का ढाल लगभग 450 है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है जो गांव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है उक्त भू–भाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू–भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिक दृष्टि से ना ही पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, उक्त मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु में ग्राम फलोटा ग्राम की सिंचित भूमि आ रही है उक्त गांव पूर्व में ही कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से

प्राप्त 2/9/2023 व0 प्र0 हस्तान्तरण आ0 का0 करें।

कार्यालय वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति सं0 1674
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 02/09/23
वन भूमि हस्तान्तरण

जुड़ा होने के कारण ग्रामवासी अपनी भूमि देने को तैयार नही है, **(विरोध पत्र संलग्न)** आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गांवो को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैण्ड की त्रिज्या मानकानुसार न्यूनतम 12मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैण्ड पर कम से कम 31.5मी0 भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाग पर्यावरण पर पड़ेगा। अतः महोदय ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण किया जाना संभव नही है।

उपरोक्त कारणो से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे है, उक्त मोटर मार्ग के संरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण द्वारा भी अपनी संस्तुति दी गयी है।

1– लाभान्वित होने वाला गांव एक राजस्व ग्राम है जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पंहुच से वंचित है।

2– ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम समुल्टा में स्थित है उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चो को उक्त स्कूल पंहुचन में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोडा जाना Obelignatory point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा।

3– लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8 किमी0 में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयाजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग –नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 किमी0 एवं सिमली की दूरी 24 किमी0 आयेगी।

4– लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगड़ी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है स्वीकृत संरेख्ण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम समुल्टा एवं ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर वृद्व एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुंचने में सुविधा होगी।

5– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता विशेष कर वृद्व व्याक्तियो एवं द्विव्यागो को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पंहुचने में सुविधा प्राप्त होगी।

6– प्रस्तावित सरेखण में कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिनमें से 118 वृक्ष चीड़ प्रजाति के है। तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग एक विरल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है।

Scanned with CamScanner

		प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गांव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है वह अभी भी गांव को नही जोड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणो के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है, (ग्रामीणो एवं सम्बन्धित कास्तकारो का आपत्ति पत्र संलग्न है) इस बिन्दु से गांव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250मी0 है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहां से लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री को पंहुच सुलभ है एवं ग्रामीणो को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नही है। **अवगत कराया गया है कि उक्त गांव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणो द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नही है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।**

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा पूर्व में प्रस्तावित संरेखण पर ही वन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुनः विचार हेतु लिखा गया है, उपरोक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए प्रस्ताव को अपने स्तर से उच्च स्तर अग्रसारित करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

सेवा में,
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
गोपेश्वर - चमोली

विषय:- कोलाडुंगरी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

महोदय,

कोलाडुंगरी क्षेत्र की जनता आपसे पुनः निवेदन करती है कि मार्ग निर्माण सर्वे कार्य जो विभाग द्वारा किया गया है उक्त सम्बन्ध में हमारी पूर्ण सहमति है। साथ ही जो सिंचित भूमि व दूरी के सम्बन्ध में क्षेत्र की जनता एवं पत्रों द्वारा आपको अवगत कराया ~~गया~~ गया है।

अतः पुनः क्षेत्र की जनता निवेदन करती है कि सम्बन्धित मार्ग निर्माण सर्वे जो विभाग द्वारा की गई है उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही जो दूरी व सिंचित भूमि का उल्लेख है के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सर्वे स्थान से ग्रामवासियों को सुविधा जनक पड़ता है तथा उक्त स्थान से यदि विभाग अन्यत्र मार्ग निर्माण होगा तो इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी।

भवदीय,
समस्त क्षेत्रवासी ग्राम कोलाडुंगरी
एवं
प्रधान
ग्राम पंचायत कोलाडुंगरी

सरिता देवी अध्यक्षिका
अध्यक्षा।
महिला मंगलदल, कोलाडुंगरी महिला मंगलदल
वि०ख०-कर्णप्रयाग (चमोली) कोलाडुंगरी

1 - (दानसिंह रावत)
भू० पू० क्षे० पं०

2 - बलवन्त सिंह रावत - बलवन्त सिंह

3 - जयप्रकाश थपलियाल, जयप्रकाश

भू० पू० प्र०

प्रधान ग्राम पंचायत कोलाडुंगरी
दिनांक
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

(4) - प्रेमसिंह तोपाल - P tomu

(5) - जीतेन्द्र तोपाल - [signature]

(6) - प्रशान्त रावत - प्रशान्त

(7) - महिपाल रावत - MS Rawat

(8) - भानचन्द्र डिमरि - भानचन्द्र [signature]

(9) - राकेश चन्द्र डिमरी - [signature]

(10) - जयवीर तोपाल - जयवीर सिंह

(11) - सुरेन्द्र तोपाल - S.topal

(12) - प्रमोद रावत - P.Rat

(13) - कमला देवी तोपाल - कमला देवी

(14) - विमला देवी तोपाल - topal

(15) - उत्तरादेवी थपलियाल - उत्तरा देवी

(16) - शुशीला देवी तोपाल - शुशीला देवी

(17) - भारती देवी तोपाल - Abut

(18) - दीपा देवी रावत - दीपा देवी

(19) - रामेश्वरी देवी थपलियाल - रामेश्वरी देवी

(20) - अंजू देवी रावत - अंजु देवी

(21) - दर्शन सिंह रावत - दर्शन सिंह

(22) - कान्ति बल्लभ थपलियाल - Kanti Ballabh

(23) - महावीर सिंह रावत - [signature]

(24) - विष्णुपाल तोपाल - [signature]

(25) - हुकमसिंह तोपाल - [signature]

ग्राम प्रधान [illegible]

08/8/2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1248 / 1 सी0 वन दिनांक 03/ 08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषयः– **Diversion of 0.860 ha of forest land for Construction of Sumalta to Koladungri Motor Road in Favor of PWD. Within the Juridiction of Badrinath Forest Division Gopeshwar, District- Chamoli, Uttarakhand.** (Online No. FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या 6485/12–1 दिनांक 17.06.2023 एवं 308/12–1 दिनांक 14.7.2023, आनलाइन ई.डी.एस. 02.8.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग से कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 29.5.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में चॉही गयी आख्या निम्नवत् है–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	The proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, it was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 . Although a reply was submitted in this response, it appears that the proposal was not assessed according to the decision takenin the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewd, and it was observed that the village is already near the existing road If, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the user agency has provided a justification that the farmers are unwilling to give therir land in that stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government , if required may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	महोदय, आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित मार्ग से उक्त गॉव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकत है– **विकल्प 1–ग्राम विड़ोली से:–**पूर्व में इस गॉव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर–विरोध के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हो पाई। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से जोड़ने हेतु फरवरी 2019 में स्वीकृति प्राप्त हुई। जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री को मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है। **विकल्प 2– ग्राम फलोटा से–** जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गॉव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू–भाग का ढाल लगभग 45° है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है, जो गॉव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है। उक्त भूभाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू–भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिकी दृष्टि से ना ही पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूसरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गॉवो को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैण्ड की त्रिज्या मनकानुसार न्यूनतम 12 मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैण्ड पर कम से कम 31.5 मीटर भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा मे मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। अतिरिक्त ग्राम फलोटा वासी, जो कि कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से पहले से जुड़े है, अपनी भूमि उक्त मार्ग के निर्माण में देने को तैयार भी नहीं है। (अनापत्ति संलग्न) अतः ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।

प्राविधिक आ0 की कर, DFO

पंजी. सं. 1082
फाइल सं. 12-1
दिनांक 08/8/2023
प्रभाग - बद्रीनाथ वन प्रभाग

Scanned with CamScanner

		निम्नलिखित कारणो से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे है– 1–लाभान्वित होने वाला गॉव एक राजस्व ग्राम है, जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पहुॅच से वंचित है। 2–ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुॅचने में सुविधा होगी। चूकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। 3– लाभान्वित गॉव का मुख्य बाजार सिमली है, जहॉ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गॉव मात्र 8 कि0मी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 कि0मी0 एवं सिमली की दूरी 24 कि0मी0 आयेगी। 4– लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगडी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जोने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगडी के मतदातोओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुॅचने में सुविधा होगी। 5– लाभान्वित गॉव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट आफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पहुॅचने में सुविधा प्राप्त होगी। 6– कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के है तथा चीड़ के वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से भी उपर्युक्त नहीं माने जाते है। इस मार्ग के निर्माण से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वन सम्पदा को नुकसान नहीं पहुॅचेगा। स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है। जिससे स्पष्ट है संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है। अतः स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

आपके पत्र संख्या 308/12–1 दिनांक 14.7.2023 द्वारा प्रस्तर 3 मे सूचित किया गया है कि **प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गॉव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है, वह अभी भी गॉव को नहीं जोड़ रहा है** के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणों के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है। **(ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र संलग्न है)** इस बिन्दु से गॉव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250 मीटर है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहॉ से लाभान्वित गॉव कोलाडुंग्री को पहुॅच सुलभ है एवं ग्रामीणों को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अवगत कराना है कि उक्त गॉव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणो द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है। अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तावित संरेखण पर ही वन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुर्नविचार करने की कृपा करें।

संलग्न– ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र।

भवदीय

03/08/23

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

3.8.2023

Scanned with CamScanner